पत्रांक– 06/वि० 09–42/2021.....143.....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 03/11/.....2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग I में कुल नामांकित एवं वर्ग II-VIII के छात्र–छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अन्तर्गत कुल 1,60,00,00,000/– (एक अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग I में कुल नामांकित एवं वर्ग II-VIII के छात्र–छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु **"मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना"** के अन्तर्गत कुल 1,60,00,00,000/– (एक अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री पोशाक/बालिका पोशाक योजनान्तर्गत कक्षा 1 एवं 2 के छात्राओं के लिए 600/–की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्राओं के लिए 700/–की दर से एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं के लिए 1000/– की दर से राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत पोशाक मद में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं के लिए 600/– रूपये की दर से प्रावधान किया गया है।

अतः मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजनान्तर्गत राज्य मद से सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 3 से 5 के छात्राओं के लिए 100/–की दर से एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं के लिए 400/– की दर से राशि दिया जाना है तथा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 1 एवं 2 के छात्राओं के लिए 600/–की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्राओं के लिए 700/–की दर से एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं के लिए 1000/–की दर से राशि दिया जाना है।

3. मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजनान्तर्गत APL कोटि के कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों को 400/– की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्रों को 500/– की दर से, कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 700/– की दर से राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

तदालोक में राज्य मद से सरकारी प्रारंभिक विद्यालय तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के उक्त छात्रों को डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाना है।

4. मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना अन्तर्गत एस० सी० (SC), एस० टी० (ST) एवं बी०पी०एल (BPL) के कक्षा 01 से 05 तक के छात्रों को 600/– की दर से तथा कक्षा 06 से 08 के छात्रों को 700/– रूपये दिये जाने का प्रावधान निर्धारित है।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत पोशाक मद में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के एस० सी० (SC), एस० टी० (ST) एवं बी०पी०एल (BPL) छात्रों के लिए 600/–की दर से प्रावधान किया गया है।

उक्त के आलोक में इस योजनान्तर्गत राज्य मद से सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 6–8 के SC/ST/BPL छात्रों को टॉप अप राशि 100/– रूपये की दर से राशि दिया जाना है तथा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों को 400/– की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्रों को 500/– की दर से, कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 700/– की दर से राशि दिया जाना है।

5. वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु तीन शीर्ष में उपबंध में 10,00,00,000/– रूपये एवं प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से 150,00,00,000/– रूपये अर्थात कुल 1,60,00,00,000/– (एक अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है। साथ ही उक्त तीनों शीर्ष में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से कुल 19,00,00,000/– रूपये की अधियाचना की गयी है।

वर्तमान में विमुक्त की जानेवाली राशि 1,60,00,00,000/– (एक अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र के व्यय का विकलन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(i) वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियाँ तथा प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष– 0101–34–02–प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 21–2202011090101 में कुल राशि 45,00,00,000/–(पैंतालीस करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है जिसमें 41,00,00,000/–(एकतालीस करोड़ रूपये) मात्र प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त राशि का उपबंध किया गया है।

निम्न कंडिका 7 (ख) के आलोक में **कुल राशि 49,94,98,700/– (उनचास करोड़ चौरानवे लाख अंठानवे हजार सात सौ) रूपये मात्र** का व्यय आकलित है। आकलित राशि के आलोक में कुल 45.00 करोड़ रूपये का विकलन इस शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा। शेष राशि का विकलन पुनर्विनियोग/द्वितीय अनुपूरक आगणन से राशि व्यवस्था किए जाने के उपरांत किया जाएगा।

(ii) मांग संख्या– 21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियॉ तथा प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0102–**मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना**, विषय शीर्ष–0102–34–02–प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 21–2202011090102 के अंतर्गत कुल 1,00,0000000/– (एक अरब रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है जिसमें 95,00,00,000/–(पंचानवे करोड़ रूपये) मात्र प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त राशि का उपबंध किया गया है।

निम्न कंडिका 7 (क) के आलोक में **कुल राशि 1,01,66,29,700/– (एक अरब एक करोड़ छियासठ लाख उनतीस हजार सात सौ) रूपये मात्र** का व्यय आकलित है। आकलित राशि के आलोक में कुल 100.00 करोड़ रूपये का विकलन इस शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा। शेष राशि का विकलन पुनर्विनियोग/द्वितीय अनुपूरक आगणन से राशि व्यवस्था किए जाने के उपरांत किया जाएगा।

(iii) मांग संख्या– 21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–789–**अनुसूचित जातियों के लिए** विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष–0102.34.02–प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 21–2202017890102 में कुल राशि 15,00,00,000/– (पंद्रह करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है जिसमें 14,00,00,000/–(चौदह करोड़ रूपये) मात्र प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त राशि का उपबंध किया गया है।

निम्न कंडिका 7 (ग) के आलोक में **कुल राशि 15,02,89,800/– (पंद्रह करोड़ दो लाख नवासी हजार आठ सौ) रूपये मात्र** का व्यय आकलित है। आकलित राशि के आलोक में कुल 15.00 करोड़ रूपये का विकलन इस शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा। शेष राशि का विकलन पुनर्विनियोग/द्वितीय अनुपूरक आगणन से राशि व्यवस्था किए जाने के उपरांत किया जाएगा।

6. शैक्षणिक सत्र 2026–27 में नामांकित छात्र/छात्राओं एवं तदालोक में दर के अनुसार कुल विमुक्त की जानेवाली राशि 1,60,00,00,000/– (एक अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र का आवंटन विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग को निर्गत किया जायेगा।

7. उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि की निकासी CFMS के तहत अवर सचिव –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा BTC FORM-43 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

अवर सचिव–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत कोटिवार छात्र/छात्राओं की संख्या एवं दर के अनुरूप संबंधित राशि की निकासी कर ICICI बैंक के अधिकृत बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित राशि NIC से प्राप्त पात्र लाभुकों की सत्यापित सूची के आधार पर निदेशक (प्रा०शि०) की सहमति से पात्र लाभुकों के बैंक खाते में राशि का अंतरण डी०बी०टी० के माध्यम से किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत कोटिवार छात्र/छात्राओं की संख्या, संबंधित राशि, निकासी से संबंधित विपत्र संख्या एवं ICICI बैंक का शाखा का नाम, अधिकृत बैंक खाता संख्या/IFSC CODE से संबंधित विवरणी निम्नवत् है:–

(क) सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के सभी कोटि की छात्रा

क्र० सं०	कोटि	नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या	दर	कुल राशि (रू० में)	संबंधित विपत्र कोड	ICICI बैंक के शाखा का नाम	ICICI बैंक का अधिकृत बैंक खाता संख्या एवं IFSC CODE
1	वर्ग 3 से 5 तक की सभी कोटी की छात्रा	2096796	100	209679600	21–2202011090102	ICICI BANK LTD. DIGHA, PATNA	खाता संख्या– 248501000499 IFSC CODE – ICIC0002485
2	वर्ग 6 से 8 तक की सभी कोटी की छात्रा	1797874	400	719149600	21–2202011090102	ICICI BANK LTD. DIGHA, PATNA	खाता संख्या– 248501000499 IFSC CODE – ICIC0002485
कुल		**3894670**		**928829200**			

गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के सभी कोटि की छात्रा

क्र० सं०	कोटि	नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या	दर	कुल राशि (रू० में)	संबंधित विपत्र कोड	ICICI बैंक के शाखा का नाम	ICICI बैंक का अधिकृत बैंक खाता संख्या एवं IFSC CODE
1	वर्ग 1 से 2 तक की सभी कोटि की छात्रा	26596	600	15957600	21–2202011090102	ICICI BANK LTD. DIGHA, PATNA	खाता संख्या– 248501000499 IFSC CODE – ICIC0002485
2	वर्ग 3 से 5 तक की सभी कोटि की छात्रा	39487	700	27640900	21–2202011090102	ICICI BANK LTD. DIGHA, PATNA	खाता संख्या– 248501000499 IFSC CODE – ICIC0002485
3	वर्ग 6 से 8 तक की सभी कोटि की छात्रा	44202	1000	44202000	21–2202011090102	ICICI BANK LTD. DIGHA, PATNA	खाता संख्या– 248501000499 IFSC CODE – ICIC0002485
कुल		**110285**		**87800500**			

अर्थात् कुल राशि 1,01,66,29,700/– (एक अरब एक करोड़ छियासठ लाख उनतीस हजार सात सौ) रूपये मात्र

(ख) सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के ए०पी०एल० छात्र

क्र० सं०	कोटि	नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या	दर	कुल राशि (रू० में)	संबंधित विपत्र कोड	ICICI बैंक के शाखा का नाम	ICICI बैंक का अधिकृत बैंक खाता संख्या एवं IFSC CODE
1	वर्ग 1 से 2 तक के सामान्य वर्ग के ए०पी०एल० छात्र	243016	400	97206400	21–2202011090101	ICICI BANK LTD. PHULWARI SHARIF, PATNA	खाता संख्या– 401201000553 IFSC CODE – ICIC0004012
2	वर्ग 3 से 5 तक सामान्य वर्ग के ए०पी०एल० छात्र	372100	500	186050000	21–2202011090101	ICICI BANK LTD. PHULWARI SHARIF, PATNA	खाता संख्या– 401201000553 IFSC CODE – ICIC0004012
3	वर्ग 6 से 8 तक सामान्य वर्ग के ए०पी०एल० छात्र	288135	700	201694500	21–2202011090101	ICICI BANK LTD. PHULWARI SHARIF, PATNA	खाता संख्या– 401201000553 IFSC CODE – ICIC0004012
कुल		**903251**		**484950900**			

गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के ए०पी०एल० छात्र

क्र० सं०	कोटि	नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या	दर	कुल राशि (रू० में)	संबंधित विपत्र कोड	ICICI बैंक के शाखा का नाम	ICICI बैंक का अधिकृत बैंक खाता संख्या एवं IFSC CODE
1	वर्ग 1 से 2 तक के सामान्य वर्ग के ए०पी०एल० छात्र	9262	400	3704800	21–2202011090101	ICICI BANK LTD. PHULWARI SHARIF, PATNA	खाता संख्या– 401201000553 IFSC CODE – ICIC0004012
2	वर्ग 3 से 5 तक के ए० पी० एल० छात्र	9723	500	4861500	21–2202011090101	ICICI BANK LTD. PHULWARI SHARIF, PATNA	खाता संख्या– 401201000553 IFSC CODE – ICIC0004012
3	वर्ग 6 से 8 तक के ए० पी० एल० छात्र	8545	700	5981500	21–2202011090101	ICICI BANK LTD. PHULWARI SHARIF, PATNA	खाता संख्या– 401201000553 IFSC CODE – ICIC0004012
कुल		**27530**		**14547800**			

अर्थात् कुल राशि 49,94,98,700/– (उनचास करोड़ चौरानवे लाख अंठानवे हजार सात सौ) रूपये मात्र

(ग) सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के एस०सी०/एस० टी०/बी०पी० एल० छात्र

क्र० सं०	कोटि	नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या	दर	कुल राशि (रू० में)	संबंधित विपत्र कोड	ICICI बैंक के शाखा का नाम	ICICI बैंक का अधिकृत बैंक खाता संख्या एवं IFSC CODE
1	वर्ग 6 से 8 तक के एस०सी०/एस० टी०/बी०पी० एल० छात्र	1080527	100	108052700	21–2202017890102	ICICI BANK LTD. KHAGAUL	खाता संख्या– 747901000075 IFSC CODE –ICIC 0007479
कुल		**1080527**		**108052700**			

गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के एस०सी०/एस० टी०/बी०पी० एल० छात्र

क्र० सं०	कोटि	नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या	दर	कुल राशि (रू० में)	संबंधित विपत्र कोड	ICICI बैंक के शाखा का नाम	ICICI बैंक का अधिकृत बैंक खाता संख्या एवं IFSC CODE
1	वर्ग 1 से 2 तक के एस०सी०/एस०टी/ बी०पी० एल० छात्र	23598	400	9439200	21–2202017890102	ICICI BANK LTD. KHAGAUL	खाता संख्या– 747901000075 IFSC CODE – ICIC0007479
2	वर्ग 3 से 5 तक के एस०सी०/एस०टी० / बी०पी० एल० छात्र	28806	500	13403000	21–2202017890102	ICICI BANK LTD. KHAGAUL	खाता संख्या– 747901000075 IFSC CODE – ICIC0007479
3	वर्ग 6 से 8 तक के एस०सी०/एस०टी/ बी०पी०एल० छात्र	27707	700	19394900	21–2202017890102	ICICI BANK LTD. KHAGAUL	खाता संख्या– 747901000075 IFSC CODE – ICIC0007479
कुल		**78111**		**42237100**			

अर्थात् कुल राशि 15,02,89,800/– (पंद्रह करोड़ दो लाख नवासी हजार आठ सौ) रूपये मात्र।

8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4792 दिनांक 04.08.2021 में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाता में पार्क नहीं किया जाएगा।

9. अवितरित राशि, यदि हो तो अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित किया जायगा।

10. स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा अंतर्गत अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् समर्पित किया जायेगा।

11. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा किया जाएगा।

12. उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888, दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–3 और 5 (ख) (ii) के आलोक में प्रदान की जाती है। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

13. वित्त विभाग के स्थायी आदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय की जायेगी।

14. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

15. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/वि० 09–42/2021 के नोट 128/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० 09–42/2021..... पटना, दिनांक–...../2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० परीक्षा) बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– 06/वि० 09–42/2021.....143..... पटना, दिनांक–03/11/2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, योजना, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/शाखा प्रबंधक, ICICI Bank Limited zonal office, Plot no 6B, सहदेव महतो मार्ग, पटना–01/CFMS के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, DBT कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/I.T. Manager,शिक्षा विभाग एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

MBM
03/11/26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।